हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 1 अप्रैल, 2026

संख्याः वि0स0–विधायन–विधेयक/1-14/2026.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत **हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 8)** जो आज दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थपित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

यशपाल,
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

———————

2026 का विधेयक संख्यांक 8

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026

खण्डों के क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 6–ख का संशोधन।

————————

2026 का विधेयक संख्यांक 8

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2026

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2026 है।

2. धारा 6–ख का संशोधन.–– हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 6–ख की उप–धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

> ''(2–अ) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो 14वीं विधान सभा में या उसके पश्चात् सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है, इस अधिनियम के अधीन

पेंशन का हकदार नहीं होगा, यदि उसे संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन अयोग्य घोषित किया गया है।''।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 विधान सभा के सदस्यों के भत्ते और पेंशन प्रदान करने के दृष्टिगत अधिनियमित किया गया था। वर्तमानतः भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन विधायी सदस्यों के दलबदल को हतोत्साहित करने के लिए अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है। इसलिए, सांविधानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए; राज्य के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए और इस सांविधानिक पाप (सिन) के निवारण के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री ।

शिमला
तारीख :....., 2026

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 8 OF 2026

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2026

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of Section 6-B.

————————

BILL NO. 8 OF 2026

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2026

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2026.

2. Amendment of Section 6-B.—In section 6-B of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, after sub-section (2), the following shall be inserted, namely:—

> "(2-A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Section, a person who is elected to be a member in the 14th Legislative Assembly or thereafter shall not be entitled for pension under the Act, if he has been disqualified under the Tenth Schecule of the Constitution.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 was enacted with a view to provide for allowances and pension to the Members of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh. Presently, there is no provision in the Act to discourage the defection of the legislative members under the Tenth Schedule of the Constitution of India. Thus, to achieve this Constitutional objective, to protect the mandate given by the people of the State, to preserve the democratic values and to have deterrence towards this Constitutional sin, it has been necessitated to carry out amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA:

THE....., 2026.